वित्त मंत्रालय
लोक उद्यम विभाग
जुलाई, 2024 माह हेतु मासिक उपलब्धियां
****

1. कैपेक्स लक्ष्य:

जुलाई, 2024 तक चुनिंदा सीपीएसईज़ (वार्षिक कैपेक्स लक्ष्य ₹100 करोड़ और उससे अधिक है) और अन्य सरकारी संगठनों के संबंध में वार्षिक कैपेक्स लक्ष्यों और इसकी उपलब्धि से संबंधित जानकारी दिनांक 05.08.2024 को प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रस्तुत की गई थी। 7.76 लाख करोड़ रुपये (बजट अनुमान) के अनुमानित व्यय के मुकाबले, उपलब्धि **2.15 लाख करोड़ रुपये (लगभग) अर्थात् दिनांक 31.07.2024 तक लगभग 27.75% है।**

2. सीपीएसईज़ का संचालन:

i. नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड (एनएचपीसी) और सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (एसजेवीएन) को नवरत्न का दर्जा देने के लिए विद्युत मंत्रालय के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए दिनांक 10 जुलाई, 2024 को अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) आयोजित की गई।

ii. लोक उद्यम विभाग (डीपीई) ने दिनांक 8 जुलाई, 2024 को एनएचपीसी लिमिटेड में बोर्ड स्तर से नीचे के पदों पर 188 पदों के सृजन के लिए विद्युत मंत्रालय के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की।

iii. डीपीई ने दिनांक 9 जुलाई, 2024 को इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड में तत्काल आमेलन के नियम से 7 पदों (ई-9 स्तर पर 4 और ई-8 स्तर पर 3) की छूट के लिए रेल मंत्रालय के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की।

iv. डीपीई ने दिनांक 29 जुलाई, 2024 को राइट्स में तत्काल आमेलन के नियम से 1 सीवीओ और 58 बोर्ड स्तर से नीचे के पदों की छूट के लिए रेल मंत्रालय के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की।

v. डीपीई ने दिनांक 19 जुलाई, 2024 को भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) को अनुसूची 'ए' सीपीएसई के रूप में अपग्रेड करने के रेल मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

vi. डीपीई ने दिनांक 30 जुलाई, 2024 को चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीपीसीएल) को अनुसूची 'क' सीपीएसई के रूप में अपग्रेड करने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

vii. डीपीई ने प्रतिभूति बाजार संहिता (एसएमसी) के मसौदे के लिए मंत्रिमंडल हेतु मसौदा नोट (डीसीएन) पर सहमति व्यक्त की।

viii. डीपीई ने एनएफडीसी में निदेशक (एचआर) के पदों पर निदेशक (एचआर, फिल्म निर्माण और प्रचार) के रूप में पुन: पदनाम करने के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की।

ix. डीपीई ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसईज़) में गैर-संघबद्ध पर्यवेक्षकों सहित बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे के पदों पर आईडीए के भुगतान के संबंध में दिनांक 01.01.2017 से वेतनमानों में संशोधन के संबंध में दिनांक 22.07.2024 को कार्यालय ज्ञापन सं. डब्ल्यू-02/0039/2017-डीपीई (डब्ल्यूसी)-जीएल-XIII/2024 जारी किया।

x. डीपीई ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसईज़) में गैर-संघबद्ध पर्यवेक्षकों सहित बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे के पदों पर आईडीए के भुगतान के संबंध में 01.01.2007 से वेतनमानों में संशोधन के संबंध में दिनांक 22.07.2024 को कार्यालय ज्ञापन सं. डब्ल्यू-02/0002/2014-डीपीई (डब्ल्यूसी)-जीएल-XIV/2024 जारी किया।

xi. डीपीई ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसईज़) में गैर-संघबद्ध पर्यवेक्षकों सहित बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे के पदों पर आईडीए के भुगतान के संबंध में दिनांक 22.07.2024 को कार्यालय ज्ञापन डब्ल्यू-02/0004/2014-डीपीई (डब्ल्यूसी)-जीएल-एसवीआई/2024 जारी किया।

xii. डीपीई ने 1987 और 1992 के आधार पर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसईज़) में आईडीए वेतनमान को अपनाने वाले बोर्ड स्तर/बोर्ड स्तर से नीचे के अधिकारियों और गैर-संघीकृत पर्यवेक्षकों को डीए के भुगतान के संबंध में दिनांक 22.07.2024 का कार्यालय ज्ञापन सं. डब्ल्यू-02/0003/2014-डीपीई (डब्ल्यूसी)-जीएल-XV-2024 जारी किया।

3. सीपीएसईज़ का समझौता ज्ञापन मूल्यांकन:

i. समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले सभी 91 सीपीएसईज़ के संबंध में वर्ष 2024-25 के लिए समझौता ज्ञापनों की समीक्षा के लिए अंतर-मंत्रालयी समिति की बैठकें आयोजित की गईं। **91 सीपीएसईज़ में से 90 सीपीएसई के मामले में समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दिया गया था और शेष एक सीपीएसई को छूट दी गई है।**

4. अंतर-मंत्रालयी बैठकें और सीसीईए/मंत्रिमंडल टिप्पणियां:

i. एलएंडटी स्पेशल स्टील्स एंड हैवी फोर्जिंग्स प्राइवेट लिमिटेड (एलटीएसएसएचएफ) में एनपीसीआईएल की हिस्सेदारी एलएंडटी को हस्तांतरित करने, जिसमें इक्विटी और वरीयता शेयर, ऋण के निपटान और जेवीसी से बाहर निकलने संबंधी टिप्पणियां प्रदान की गईं।

ii. माह के दौरान डीपीई द्वारा 01 आईएमजी और 01 सीजीडी बैठकों में भाग लिया गया।

5. सीपीएसईज़ द्वारा एमएसईज़ और जीईएम के माध्यम से खरीद:

i. **2024-25 (जुलाई, 2024 तक) के दौरान सीपीएसईज़ द्वारा एमएसईज़ से खरीद अनिवार्य 25% के मुकाबले लगभग 39% थी। (एमएसएमई-संबंध पोर्टल के अनुसार 76 सीपीएसईज़ की रिपोर्ट दी)।**

ii. **जुलाई, 2024 (वित्तीय वर्ष 2024-25) तक सीपीएसईज़ द्वारा जीईएम से खरीद 1,48,570 करोड़ रुपये थी, जबकि जुलाई, 2023 (वित्तीय वर्ष 2023-24) तक यह 42,510 करोड़ रुपये थी।**

6. क्षमता निर्माण:

i. डीपीई ने दो आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, अर्थात (i) आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के माध्यम से बेंगलुरु में योग्यता निर्माण, जिसमें सीपीएसईज़/एसएलपीईज़ के 35 अधिकारियों ने भाग लिया, और (ii) राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के माध्यम से शिलांग में कर्मचारियों के लिए नई श्रम संहिता जिसमें सीपीएसईज़/एसएलपीईज़ के 17 अधिकारियों ने भाग लिया।

ii. डीपीई ने यूनिसेफ और स्कोप के सहयोग से दिनांक 9 और 10 जुलाई, 2024 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में सीएसआर कॉन्क्लेव-2024 का आयोजन किया। कार्यक्रम के दौरान एएमआरसीडी, संस्कृति और विरासत, सीपीएसई-स्पैरो और पीई सर्वेक्षण पर समानांतर सत्र आयोजित किए गए। सीएसआर कॉन्क्लेव में 900 से अधिक प्रतिभागी शामिल थे, जिनमें आकांक्षी जिलों के उपायुक्त/डीएम और वरिष्ठ अधिकारी, क्षेत्रीय मंत्रालयों/विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, सीपीएसईज़ और कार्यान्वयन एजेंसियों के सीएसआर प्रमुख और कार्यकारी शामिल थे।

7. सीपीएसईज़ का मुद्रीकरण: -

i. एनएलएमसी ने प्रयागराज और कोलकाता में संपत्तियों के मुद्रीकरण के संबंध में ई-नीलामी के माध्यम से एनएलएमसी के 11 आवासीय फ्लैट, जिनमें प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में स्थित 7 फ्लैट और कोलकाता, पश्चिम बंगाल में स्थित 4 फ्लैट के लिए बोलियां आमंत्रित करने के लिए दिनांक 22.07.2024 को प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) प्रकाशित किया।

8. एएमआरसीडी मामलों की स्थिति:

i. अद्यतन स्थिति के अनुसार, पोर्टल पर 182 मामले दर्ज/पंजीकृत किए गए। 41 मामलों को वित्तीय सलाहकारों के स्तर पर खारिज कर दिया गया। 44 मामलों का निपटारा कर दिया गया है और 70 मामले निर्णय के लिए सचिवों की समिति के पास हैं। शेष 27 मामले संबंधित वित्तीय सलाहकारों के पास उनकी जांच और अनुमोदन के लिए लंबित हैं।

****